6. There was a general consensus on bringing a Central Legislation ■ in respect of construction labour . and agricultural labour.

7. Regarding review of imple mentation of Labour Laws and 'Laws & Policies relating to Child Labour, Woman Labour and • Emigrant Labour, it was agreed that these matter would be. discussed in the Standing Labour Committee. '

Workers' participation in management

233. SHRI PRAMOD MAHAJAN. Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government propose to give workers' participation in mana gement; and

(b) if so, what are the details thereof; and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PAS-WAN): (a) Yes, Sir.

(b) A legislation to give statutory basis to workers' participation in management is under consideration.

राजस्थान में कुओं और हैंड पम्पों से पानी की आपूर्ति

234. **डा० अबरार अहमद खान :** क्या कृषि मंत्री 23 मार्च, 1990 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1354 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष राजस्थान में हैंड पम्प और ट्यूब वैल लगाने पर कितनी धन-राशि खर्च किए जाने की संभावना है और कितने-कितने हैंड पम्प और ट्यूब वैल लगाए जाएंगे तथा पेय जल की समस्या को हल करने के लिए कितने नये कुएं खोदे जाएंगे और कितने कुओं को गहरा किया जाएगा और इस कार्य को कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है, और

(ख) क्या सरकार की इंदिरा गांधी नहर, चम्बल, बनास और अन्य नदियों से लिफ्ट योजना के द्वारा पीने के पानी को उपलब्ध कराने की कोई योजनाएं हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) राज्य सरकार ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई के लिये 18.97 करोड़ रुपये की एक आपातिक योजना स्वीकृत की है । इस योजना में 453 ट्यूबवैलों और 5235 हैंडपम्पों (1710 शहरी क्षेत्रों में और 3525 ग्रामीण क्षेत्रों में) के लगाए जाने की व्यवस्था है । ये कार्य 30.6.1990 तक पूरे कर लिये जाने की संभावना है।

स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर नये कुएं खोदने और कुओं को गहरा करने का काम राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । उनकी संख्या की निगरानी भारत सरकार के स्तर पर नहीं की जाती है।

राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की योजना स्कीमों और केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई के लिये हैंडपम्प और ट्यूबवैल लगाने और उनकी संख्या के बारे में निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है । योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे हैंडपम्पों और ट्यूबवैलों की संख्या के बारे में केन्द्र सरकार को सूचित नहीं किया जाता है ।

(ख) जी, हां ।

खाद्य तेल का निर्यात

235. **श्री राम जेठ मलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस वर्ष खाद्य तेल (सरसों के ते का निर्यात करने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या इसका निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसका निर्यात किन-किन देशों को किये जाने की संभावना है और उक्त निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को एक बार 25000 मी० टन सरसों के तेल के निर्यात के लिए प्राधिकृत किया है । राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इस बारे में ब्यौरे तैयार कर रही है । तथापि, अभी तक कोई निर्यात नहीं किया गया है ।

अभावग्रस्त गांवों को पेय जल की आपूर्ति

236. **श्री राम नरेश यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1990 के अन्त तक देश में ऐसे अभावग्रस्त गांवों की राज्यवार संख्या कितनी थी जो पेय जल से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे थे ; और

(ख) 1990-91 के वर्ष के दौरान कितने गांवों में पेय जल की सुविधा उपलब्ध करा दिए जाने का लक्ष्य है और शेष गांवों में पेय जल की सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार "बिना स्रोत" वाले समस्याग्रस्त गांवों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान आंशिक रूप से कवर किए गए 39809 गांवों में सुविधा का विस्तार करने/पूर्ण कवरेज के लक्ष्य के अलावा 3612 "बिना स्रोत" वाले समस्याग्रस्त गांवों को स्वच्छ पेयजल की सुविधायें उपलब्ध कराने का लक्ष्य है । शेष समस्याग्रस्त गांवों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष के दौरान कवर किए जाने की संभावना है।

विवरण

राज्य/संघशासित क्षेत्र	"बिना स्रोत" वाले समस्याग्रस्त गांवों की संख्या	माह की समाप्ति पर
1	2	3
असम	444	मार्च, 1990
बिहार	78	फरवरी, 1990
गोवा	2	मार्च, 1990
गुजरात	215	फरवरी, 1990
हरियाणा	171	मार्च, 1990
हिमाचल प्रदेश . . उ .	1107	मार्च, 1990